-: राजस्थान सरकार:-

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

मु0नं0–46/2023 **(जीसीएमएस नं0 2023/62)**

उनवान –सरकार बनाम कल्याण सिंह पुत्र श्री ताराचंद राजपूत,उम्र 23 वर्ष,जाति लोधा,मैसर्स मॉ पीताम्बरा किराना स्टोर ,औंडेला रोड,धौलपुर निवासी औंडेला, धौलपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/51एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय **दिनांक –29.01.2024**

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री राजेन्द्र सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री ताराचंद राजपूत,उम्र 23 वर्ष,जाति लोधा,मैसर्स मॉ पीताम्बरा किराना स्टोर ,औंडेला रोड, धौलपुर के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा धारा 2(ii)/51एफ0एस0एस0एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 17.07.2023 को अभियुक्त/अप्रार्थी की दुकान का निरीक्षण के दौरान दुकान में लगभग 10 किलोग्राम बूरा आम जनता के विकय करने हेतु रखा था। उक्त बूरे में मिलावट का शक होने पर उक्त बूरे में से 01 किलोग्राम बूरा वास्ते नमूना जॉच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त बूरा नमूना डी–2865 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर की जॉच रिपोर्ट एलएस/851/एसीटी/2023/896 दिनांक 26.07.2023 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विकय किया गया बूरा सबस्टैंडर्ड प्रकृति का होना पाया गया। न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त/अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी स्वंय उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त सबस्टेडर्ड बूरा का विकय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंधन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैडर्ड बूरा बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री ताराचंद राजपूत,उम्र 23 वर्ष,जाति लोधा,मैसर्स मॉ पीताम्बरा किराना स्टोर ,औंडेला रोड, धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 15000/–रुपये (पन्द्रह हजार रूपये) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रैट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्मलाल जाट)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर(राज0)